मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

चौटाला-माया गठबंधन 3
बिहार के लेनिन 4
आरएसएस बनाम मुस्लिम ब्रदरहुड 5
जेएनयू नक्सली 8

वर्ष 31 अंक -37 फ़रीदाबाद 09-15 सितम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

यारो, माफ़ करना आबकारी विभाग नशे में है

फरीदाबाद में 10 सोसायटियों के लोग सेक्टर 48 में शराब का ठेका हटवाने के लिए दस दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन सो रहा है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबादः सेक्टर 48 में दस सोसायटियों के नागरिक पिछले दस दिनों से एक शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं लेकिन आबकारी विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक इस बात पर तुला हुआ है कि वो उस ठेके को नहीं हटाएंगे, नागरिक चाहे जो कर लें।

यह ठेका मूल रूप से सैनिक कॉलोनी के लिए आवंटित हुआ है लेकिन शराब ठेकेदार ओमप्रकाश ने इसका सेल पॉइंट और अहाता सेक्टर 48 में गीता सोसायटी के सामने बना रखा है। क्योंकि वहां चहल-पहल ज्यादा है तो शराब की बिक्री भी ज्यादा होती है। लेकिन ठेका खुलने के बाद इस इलाके के लोगों का जीना दूभर हो चुका है। आए दिन लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं और आती-जाती महिलाओं और बच्चियों पर फब्तियां कसना आम बात है।

नियम ताक पर

इस ठेके का पॉइंट सैनिक कॉलोनी की बजाय यहां खोलने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। सेक्टर 48 की गीता सोसायटी के सामने खोले जाने से पहले यह पॉइंट और अहाता इस इलाके से दूर था लेकिन वहां के लोगों ने जब ऐतराज किया तो इसे यहां खोल दिया गया। शराब ठेके का टेंडर जारी करते समय ठेकेदार को सरकारी तौर पर लिखित में यह बताया जाता है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर-मस्जिद अगर आसपास हैं तो ठेका नहीं खोला जा सकता। लेकिन यहां इन नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ा दी गईं। इस शराब ठेके के आसपास मंदिर भी है और मस्जिद भी है। स्कूल भी है।

इस मामले को उठाने वाली संस्कार फाउंडेशन की परमीता चौधरी के साथ इलाके के लोग एकजुट होकर धरने पर बैठे हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की है, क्योंकि इस शराब के ठेके का सबसे ज्यादा नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। परमीता चौधरी का कहना है कि इस शराब के ठेके ने हमारा सामाजिक तानाबाना बिखेर दिया है। जिन लोगों के घर में दो वक्त राशन नहीं होता है, लेकिन उनके मर्द लोग इस ठेके पर खड़े मिलते हैं। घर पर महिलाएं और बच्चे भूखे बैठे होते हैं। किशोरवय के लड़के यहां शराब पीते देखे जा सकते हैं।

समाजसेवी मोहम्मद रजा का कहना है कि कोई भी इंसान किसी को पता बताते हुए कहता है कि उसका घर फलां मंदिर के पास है, फलां मस्जिद के पास है या फलां स्कूल के पास है लेकिन यहां तो गीता निवास सोसायटी के लोगों को पता बताते हुए कहना पड़ता है कि हमारा घर शराब के ठेके के पास है। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। प्रशासन को समय रहते यहां से ठेका हटवा देना चाहिए।

आबकारी विभाग वालो डूब मरो

गीता सोसायटी के लोग अपने ज्ञापन के साथ आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और कमिश्नर तक से मिले। कमिश्नर ने सोसायटी के लोगों से कहा कि आप लोग तो ठेके वाले का एहसान मानो, उसने आपके इलाके की सफाई करा दी। इससे साफ संकेत मिल गया कि एक्साइज विभाग दरअसल क्या चाहता है। इस विभाग ने लिखित में जो जवाब दिया है, उसमें कहा गया है कि हमारे मानकों के हिसाब से ठेका कानूनी ढंग से खोला गया है, हमारे सारे नियमों को ठेकेदार ने पूरा किया है। एक सरकारी महकमे के सामने सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोई बाध्यता नहीं है।

नेताओं ने किया निराश

सेक्टर 48 की गीता निवास समेत दस सोसायटी के लोग इलाके की विधायक सीमा त्रिखा (बडखल विधानसभा क्षेत्र) से जाकर मिले। सीमा त्रिखा ने सहमति भी जताई कि जब क्षेत्र के लोगों को ऐतराज है तो ठेका हटना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बैठक बुलाई लेकिन खुद वहां से गायब हो गईं। इससे इलाके के लोग निराश होकर लौट आए। अब यह लोग अगले चुनाव में सीमा त्रिखा को उनके इस कर्म का फल देने को बेताब हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने आकर यहां सहानुभूति दिखाई लेकिन वे दोबारा नहीं लौटे। बताया जाता है कि कुछ भाजपा नेताओं की तो इस ठेके से बोतल बंधी हुई है इसलिए पार्टी का एक भी नेता ठेके के खिलाफ नहीं बोल रहा है। परमीता चौधरी के अलावा बाबा राम केवल, वरुण श्योकंद, उमेश कूंडू, अजय डागर, पिस्ता शर्मा, अनीता शर्मा, राजबाला यादव, रीना पुष्पा कोमल, रहमानी, नरेंद्र मेंहदीरत्ता आदि इस मुद्दे पर अभी भी डटे हुए हैं। बाबा रामकेवल का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम डिप्टी कमिश्नर (डीसी) का भी घेराव करेंगे लेकिन ठेका हटाकर रहेंगे।

सेक्टर 48 के लोगों के इस संघर्ष में छोटे छोटे बच्चों और दिव्यांगों को भी प्रदर्शन में भाग लेते देखा जा सकता है। छोटे छोटे मुद्दे पर फरीदाबाद के लोगों की जागरूकता की यह झलक भर है, अगर लोग अपने आसपास के जनसरोकार के मुद्दों को इसी तरह उठाएं तो बहरी सरकार पर असर जरूर पड़ेगा।

हुड्डा-वाड्रा पर मुकदमा दर्ज, बहुत देर कर दी सनम आते-आते

गुड़गाव (म.मो.) पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा राबर्ट वाड्रा के विरुद्ध थाना खेड़कीदोला में भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,व 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत एफ़आईआर नम्बर 188 दर्ज करली गयी है। चंद भ्रष्ट एवं लालची अफ़सरों की मदद से हुड्डा तथा वाड्रा ने जो भूमि घोटाला किया था, उसे लेकर यही एफ़आईआर नम्बर 2014 में भी खट्टर सरकार, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कर सकती थी। इसके लिये न तो लाखों रुपये बर्बाद करके ढींगड़ा आयोग का ड्रामा करने की जरूरत थी और न ही किसी सुरेन्द्र शर्मा को शिकायतकर्ता बनाने की।

यह सब ड्रामेबाज़ी भाजपा सरकार ने टाइम पास करने के लिये की थी। सरकार चाहती थी कि इस मुकदमे के दबाव में कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल किया जाये और जरूरत पड़ने पर अपने काले कारनामों- राफ़ेल डील, नोटबंदी, बढती महंगाई व गिरता रुपया तथा बेरोजगारी आदि की ओर से ध्यान हटाने के लिये इस मुकदमे को, चुनावी मौसम में तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाये। वही अब हो रहा है।

क्या है सारा मामला

मामला यह है कि जीजा ने बनाई एक कम्पनी स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी। कुल जमा पूंजी थी एक लाख। इस एक लाख की पूंजी से जीजा श्री ने मात्र चार साल में सीधे 50 करोड़ कमा लिये। यह जादू का खेल हुआ कैसे ?

हरियाणा सरकार ने सेक्टर 83 के लिये 126.80 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की तो जीजा श्री भी लूट कमाई करने शिकोहपुर चले आये। इन्होंने ग्रमीनों से 2.710 एकड़ ज़मीन का एक फ़र्जी सा सौदा कर लिया यानी न कोई रजिस्ट्री न कोई इन्तकाल। अब इस मिट्टी का सोना तब बने जब मुख्यमंत्री हुड्डा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके इस भूखंड को कमर्शियल में परिवर्तित करे तथा जीजा श्री को इसका लाइसेंस जारी करे।

घर की हकूमत हो तो यह काम क्या मुश्किल था, सो ताबेदार मुख्यमंत्री हुड्डा ने कानून कायदों को ताक पर रखते हुये यह करिश्मा कर दिखाया। इस सेक्टर की कुल 126.80 एकड़ में से केवल 50 प्रतिशत यानी 63.40 एकड़ ज़मीन को ही कमर्शियल में रखा जा सकता था जबकि वाड्रा के इस बाबत 10 मार्च 2008 को आये आवेदन से पहले ही करीब 8 एकड़ रकबा फ़ाल्तू कमर्शियल हो चुका था। लेकिन जीजा श्री को तो ना की नहीं जा सकती थी। लिहाज़ा अपनी ही सरकार के नोटिफ़िकेशन (5 फ़रवरी 2007) की अवहेलना करते हुये मुख्यमंत्री हुड्डा ने सड़कों व ग्रीन बेल्ट से ज़मीन काट कुल रकबे को 9.22 एकड़ बढ़ा दिया।

वाड्रा की ज़मीन तक पहुंचने के लिये 24 मीटर की सड़क होनी जरूरी थी जो नहीं थी। इसके लिये ओंकारेश्वर बिल्डर व वाटिका लैंड्स के प्लॉटों में से सड़क का जुगाड़ कराया गया। स्काईलाइट कम्पनी की वित्तीय स्थिति व अन्य औपचारिकताओं की अनदेखी करते हुये हुड्डा सरकार ने 23 मार्च 2008 को लाइसेंस जारी कर दिया यानी मात्र 13 दिन में खेती की ज़मीन कमर्शियल हो गयी और वाड्रा को लाइसेंस भी मिल गया। अब सवाल आया कि आईडीसी व ईडीसी यानी भीतरी व बाहरी विकास शुल्क के 2 करोड़ 22 लाख 16 हज़ार 494 रुपया भरने का तो एक लाख की पूंजी वाली कम्पनी यह शुल्क कैसे भरती? इस मौके पर प्रकट हुई डीएलएफ़ कम्पनी जिसने सीधे 50 करोड़ का चेक जीजा श्री की कम्पनी को दिया दिनांक 7 अक्टूबर 2009 को। इसके बदले डीएलएफ़ ने वाड्रा की कम्पनी से एक एग्रीमेंट किया व 7 अक्टूबर 2009 को उस 2.710 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। इसके बाद इन्तकाल भी अपने नाम चढवा दिया।

यही इन्तकाल जब तत्कालीन डीजी कंसोलीडेशन अशोक खेमका के सामने आया तो उन्होंने यह लिखते हुए इन्तकाल रद्द कर दिया कि जब वाड्रा कंपनी के नाम ही कुछ नहीं है तो वह किसी (डीएलएफ़) को बेच कैसे सकता है। इससे सरकार को मिलने वाली स्टेम्प ड्यूटी का भारी नुक्सान हुआ है। इतना ही नहीं जब वाड्रा कम्पनी के नाम ही कुछ नहीं था तो 18 जनवरी 2011 को उसका लाइसेंस रिन्यू केसे कर दिया गया? खेमका का इतना लिखना भर ही मुख्यमंत्री हुड्डा सहित पार्टी हाई कमान को भारी पर गया। जाहिर है कि इसका खामियाज़ा भुगताने के लिये खेमका को सरकार द्वारा हर संभव तरीके से प्रताड़ित किया गया।

उस वक्त सत्ता से बाहर बैठी भाजपा ने बड़े दहाड़े मार-मार कर घोषणा की थी कि सत्ता में आते ही वे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा वाड्रा को जेल भेज देंगे। वास्तव में इन दोनों को जेल भेजने के लिये खेमका द्वारा लिखा गया आदेश भी काफ़ी था। लेकिन भाजपा को तो इस मामले से अपनी राजनीतिक गोटियां फ़िट करने की चिंता अधिक थी। इसलिये खट्टर सरकार द्वारा इस मामले में कोई त्वरित कार्यवाही करने की बजाय टाइम पास करना था, सो कर दिया। जानकारों का मानना है कि इस देरी का लाभ अभियुक्तों को मिल सकता है।